वाले अपेक्षा दि० 27/6/2018 को पेश हो।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

27/6/2018 - उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं० 1 के द्वारा अप्रार्थी सं० 2 द्वारा जारी पट्टे की आड में हमारी खातेदारी एवं रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर उतारू है। रिपोर्ट में उक्त तथ्य स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी सं० 1 व 3 के द्वारा निवेदन किया कि पंचायत के द्वारा विधिवत पट्टा दिया है उसी पर हमारा कब्जा बोकर मौके पर निर्माण विधिवत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस के तथ्यों एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक 288 दि० 18/6/2018 से प्राप्त रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी ग्राम भडालीखेड़ा की आ०न० 646 रकबा 0.2403 है० किस्म गै०मु० रास्ता है जिसमें 3 गठा रास्ते की भूमि तथा प्रार्थी की ग्राम भडालीखेड़ा में आ०न० 641/1 641/2 व 641/3 खातेदारी में दर्ज है उक्त भूमियों में से $2\frac{1}{2}$ गठा भूमि ग्राम पंचायत आ०जीया पं०स० सुवाणा द्वारा अप्रार्थी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सं० के नाम जारी पट्टे में सम्मिलित होना पाया जाता है जिसका अप्रार्थी सं० 1 को किसी प्रकार से उपयोग का अधिकार नहीं है। अतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व दि० 6/6/2018 को जारी ~~अस्थाई~~ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल निगरानी के निर्णय तक यथावत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे ग्राम मंडालीखेड़ा की आ०न० 641/1, 641/2, 641/3 व 646 की मौके की यथास्थिति कायम रखें। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)
भीलवाड़ा